FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा कैम्प बाला

वादी | **बनाम** | **प्रतिवादी**

भंवरलाल — राजस्थान सरकार

किस्म मुकदमा राजस्व वाद संख्या–114/2021

अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर वा तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
23.10.2021	प्रार्थी भंवरलाल पुत्र नवलाराम जाति बावरी निवासी लाम्बा तहसील बिलाड़ा ने राजस्व शिविर कैम्प बाला में धारा–88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट का आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बाला तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 1453/76 रकबा 4.8136 हैक्टेयर संयुक्त खातेदारी की आयी हुयी है। उक्त संयुक्त खातेदारी भूमि वादी के पिता नवलाराम पुत्र पोकरराम की थी। नवलाराम का देहान्त करीब 40 वर्ष पूर्व हो गया, उनके देहान्त का फौतेदगी नामांन्तकरण संख्या 550 स्वीकृत किया गया उसमें प्रार्थी का नाम भंवरलाल के बजाय मस्ताराम लिख दिया गया जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम भंवरलाल है तथा सरकारी दस्तावेज भी भंवरलाल के नाम से जारी किये हुए है अन्त में निवेदन किया कि संयुक्त खातेदारी भूमि में मस्ताराम पुत्र नवलाराम के स्थान पर भंवरलाल पुत्र नवलाराम की खातेदारी काश्तकारी की घोषित की जावे। वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी भंवरलाल ने अपने वाद के समर्थन में अपने स्वयं के बयान दर्ज करवाये। तथा अपना गवाह पी. डबल्यु. 2 छेलाराम पुत्र मुल्तानराम बावरी के बयान कलमबद्ध कराये गये। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के तौर पर वादी भंवरलाल के आधारकार्ड, पहचान पत्र, राशनकार्ड आदि पेश किये है। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के तौर पर कार्यालय ग्राम पंचायत बाला द्वारा जारी किया गया विरासत प्रमाण पत्र को पेश किया है। तहसीलदार बिलाड़ा से उपरोक्त संयुक्त खातेदारी भूमि का जवाब प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया, जिसकी पालना में तहसीलदार बिलाड़ा नें जवाब पेश किया, जो जवाब को शामिल पत्रावली कराया गया। वादी ने मजमा आम में निवेदन किया कि मेरा नाम उपरोक्त संयुक्त खातेदारी भूमि में मस्ताराम लिख दिया गया है, गलत प्रविष्टि के कारण मेरा [illegible] है। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन [illegible]। दस्वातेजों का अध्ययन करने से विदित होता है कि वादी का नाम भंवरलाल के बजाय मस्ताराम दर्ज कर दिया गया है जो एक त्रुटि [illegible] उक्त वादी का वाद स्वीकार किये जाने योग्य है अतः ग्राम बाला तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 1453/76 रकबा 4.8136 हैक्टेयर का संयुक्त खातेदारी भूमि में मस्ताराम पुत्र नवलाराम के स्थान पर भंवरलाल पुत्र नवलाराम की	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 15:58:07 IST
Reason: SelfAttested

	खातेदारी काश्तकारी की घोषित की जाती है। उक्तानुसार तहसीलदार बिलाड़ा राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे। इसी माफिक निर्णय का डिक्री पर्चा जारी हों, पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों। निर्णय प्रशासन गांव के संग अभियान कैम्प ग्राम बाला में खुले में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा	

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6—7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा कैम्प बाला

व इजलास भवानी सिंह, आर.ए.एस.

वादी	**बनाम**	**प्रतिवादी**
भंवरलाल पुत्र नवलाराम जाति बावरी निवासी लाम्बा तहसील बिलाड़ा		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

राजस्व वाद संख्या :— 114/2021

निर्णय **दिनांक** :— 27.10.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी वादी स्वयं मिनजानिब मुददई, प्रतिवादी संख्या 1 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पे”ा होकर हुक्म दिया जाता है कि ग्राम बाला तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 1453/76 रकबा 4.8136 हैक्टेयर की संयुक्त खातेदारी भूमि में मस्ताराम पुत्र नवलाराम के स्थान पर भंवरलाल पुत्र नवलाराम की खातेदारी काश्तकारी की घोषित की जाती है। उक्तानुसार तहसीलदार बिलाड़ा राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे। खर्चा [illegible] अपना अपना वहन करेंगे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 15:58:07 IST
Reason: SelfAttested

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज — मुबलिग — बाबत् —

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह — सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक — की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 27.10.2021 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमि"नर			फीस कमि"नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :—इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 15:58:07 IST
Reason: SelfAttested